

***जनपद-संतकबीरनगर**

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 21.03.2025*

***जनपद - संतकबीरनगर**

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक

21.03.2025*

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

***थाना मेंहदावल पुलिस* द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 147 वाहनों से 1,71,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 21.03.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 99 वाहनों से 1,71,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

डीजे बजाने को लेकर मारपीट व आगजनी के घटना में थाना महुली पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए

05 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा जा चुका है

दिनांक 14.03.2025 को वादी श्री सुरेन्द्र राजभर पुत्र चौथी राजभर निवासी करी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना महुली पर लिखित सूचना दी गयी कि दिनांक 14.03.2025 को अनिल के दरवाजे पर बच्चे डीजे बजाकर नाच रहे थे तभी गांव के ही विपक्षीय द्वारा डीजे बजाने को लेकर मारपीट व आगजनी की घटना कारित की गयी थी, उक्त के संबंध में थाना स्थानीय महुली पर मु0अ0सं0 64/2025 धारा 115(2)/352/351(3)/110/326(f) बीएनएस बनाम 01. रत्नेश तिवारी पुत्र अशोक तिवारी, 02. अशोक तिवारी पुत्र परमात्मा 03. आशुतोष उर्फ गोलू पुत्र संजय तिवारी, 04. राकेश तिवारी पुत्र राजकुमार निवासीगण करी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध दिनांक 14.03.2025 को पंजीकृत किया गया था उक्त घटना में संलिप्त 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा जा चुका है। जो निम्नवत है -

अभियुक्तों नाम पता **01.** रत्नेश तिवारी पुत्र अशोक तिवारी, **02.** अशोक तिवारी पुत्र परमात्मा **03.** आशुतोष उर्फ गोलू पुत्र संजय तिवारी निवासीगण करी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को दिनांक **15.03.2025** को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा जा चुका है।

04- अभियुक्त नाम पता जय प्रकाश यादव पुत्र टिहुल यादव निवासी करी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को दिनांक **16.03.2025** को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा जा चुका है।

05- अभियुक्त योगेन्द्र यादव पुत्र स्व0 फूलदेव यादव निवासी करी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक **17.03.2025** को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा जा चुका है।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे *‘‘ऑपरेशन कनविकशन’’ अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास व 20,000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे ‘‘ऑपरेशन कनविकशन’’ अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 21.03.2025 को *माननीय न्यायालय ए0एस0जे0 प्रथम जनपद संतकबीरनगर* के द्वारा 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास व 20,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरण:-

मु0अ0सं0 309/2022 धारा 302/34,504,506 भा0द0वि0 थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से संबंधित अभियुक्त मेराज पुत्र मो0 इमरान निवासी डड़वा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को अन्तर्गत धारा 302 भा0द0वि0 के अपराध हेतु आजीवन कारावास व 20,000 हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 03 माह का अतिरिक्त कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

अभियुक्तगण मो0 इमरान व अमिरुन्निशा को 20-20 हजार रु0 का बन्धपत्र व समान राशि के दो दो प्रतिभू न्यायालय के समक्ष 07 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे *‘‘ऑपरेशन कनविकशन’’ अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट के मामले में 09 अभियुक्तों को 01-01 वर्ष के सदाचरण एवं परिवीक्षा बनाये रखने हेतु, 20-20 हजार व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान राशि के 02-02 प्रतिभू से दण्डित किया गया

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे ‘‘ऑपरेशन कनविकशन’’ अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 21.03.2025 को मा0 न्यायालय सी0जे0(जे0डी0)/जे0एम0 संतकबीरनगर के द्वारा 09 अभियुक्तों को 01-01 वर्ष के सदाचरण एवं परिवीक्षा बनाये रखने हेतु, 20-20 हजार व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान राशि के 02-02 प्रतिभू निष्पादित करने का आदेश दिया गया।

विवरण:-

मु0अ0सं0 163/1992 धारा 147/323/325 भा0द0वि0 थाना महुली जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्तगण 01.मृत्युंजय उर्फ बबुन्ने पुत्र अंगद, 02. रिपुन्जय पुत्र अंगद, 03. प्रेमचन्द्र पुत्र राम सवारे चतुर्वेदी, 04. गिरिश चन्द्र पुत्र राम सवारे चतुर्वेदी, 05. विजय कुमार पुत्र रामकरन चतुर्वेदी, 06.वीरेन्द्र कुमार उर्फ गुड्डू पुत्र ब्रह्मानन्द चौबे, 07. श्री नारायण पुत्र रामकरन चतुर्वेदी, 08. रामसुभ पुत्र रामकवल, 09. सूर्य नारायण पुत्र वशिष्ठ चौबे निवासीगण बरौली थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को मुकदमा उपरोक्त में 20-20 हजार रु0 के निजी बन्धपत्र व समान राशि के दो दो प्रतिभू जिला परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष 14 दिन के अन्दर निष्पादित करने का आदेश दिया गया।